



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

15 दिसंबर 2022

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2022-23

भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से नीचे दिए गए कैलेंडर के अनुसार शृंखलाओं में [सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड \(एसजीबी\)](#) जारी करने का निर्णय लिया है:

क्र.सं.	शृंखला	अंशदान की तारीख	निर्गम की तारीख
1.	2022-23 शृंखला III	19 दिसंबर - 23 दिसंबर 2022	27 दिसंबर 2022
2.	2022-23 शृंखला IV	06 मार्च - 10 मार्च 2023	14 मार्च 2023

एसजीबी की बिक्री [अनुसूचित वाणिज्य बैंकों \(लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा\)](#), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल), [विनिर्दिष्ट डाकघरों](#) तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों यथा [नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड](#) के माध्यम से की जाएगी। एसजीबी की विशेषताएं निम्नवत हैं:

क्र. सं.	मद	ब्यौरे
1	उत्पाद का नाम	सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2022-23
2	निर्गम	भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।
3	पात्रता	एसजीबी निवासी व्यक्तियों, अविभक्त हिंदू परिवारों, न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं को ही बेचे जाएंगे।
4	मूल्यवर्ग	एसजीबी को एक ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों के मूल्यवर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा।
5	अवधि	एसजीबी की अवधि आठ वर्ष होगी, जिसमें जिस तारीख को ब्याज देय है उससे पाँच वर्ष के बाद समय पूर्व मोचन का विकल्प होगा।
6	न्यूनतम मात्रा	न्यूनतम अनुमत निवेश एक ग्राम सोना होगा।
7	अधिकतम मात्रा	सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए अनुसार अभिदान की

		अधिकतम सीमा व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्टों और इसी प्रकार की संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) होगी। अभिदान के लिए आवेदन करते समय निवेशकों से इस आशय की एक स्व-घोषणा प्राप्त की जाएगी। वार्षिक उच्चतम सीमा में वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न शृंखलाओं के अंतर्गत खरीदे गए एसजीबी और द्वितीयक बाजार से खरीदे गए एसजीबी शामिल होंगे।
8	संयुक्त धारक	संयुक्त धारिता की स्थिति में 4 किलो ग्राम की निवेश सीमा केवल पहले आवेदक पर लागू होगी।
9	निर्गम मूल्य	एसजीबी का मूल्य, इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोशिएशन लि. (आईबीजेए) द्वारा अभिदान की अवधि के पहले सप्ताह के अंतिम तीन कारोबारी दिवस के लिए प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपया में तय किया जाएगा। एसजीबी का निर्गम मूल्य ऑनलाईन अंशदान तथा डिजिटल मोड द्वारा भुगतान करने वाले लोगों के लिए अंकित मूल्य से ₹50 प्रति ग्राम कम होगा।
10	भुगतान विकल्प	एसजीबी के लिए भुगतान नकदी में (अधिकतम 20,000 रुपए तक) या मांग ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से होगा।
11	निर्गम का प्रकार	सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में एसजीबी बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए निवेशकों को धारिता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। एसजीबी डिमेट रूप में रूपांतरण के पात्र होंगे।
12	चन मूल्य	मोचन मूल्य आईबीजेए द्वारा प्रकाशित 999 की शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्य के पिछले तीन कारोबारी दिवस के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपया में होगा।
13	बिक्री के चैनल	एसजीबी की बिक्री अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल), विनिर्दिष्ट डाकघरों (यथा अधिसूचित) तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों यथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष या एजेंटों के माध्यम से की जाएगी।
14	ब्याज दर	निवेशकों को निवेश की प्रतिपूर्ति आरंभिक मूल्य पर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निर्धारित दर पर अर्धवार्षिक रूप से की जाएगी।

15	संपार्श्विक	एसजीबी को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) का अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर निर्धारित किया जाएगा।
16	केवाईसी प्रलेखन	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड वहीं होंगे जो वास्तविक स्वर्ण की खरीद के लिए होते हैं। केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे। प्रत्येक व्यक्ति और अन्य संस्थाओं को आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए पैन नंबर के साथ आवेदन करना होगा।
17	कर उपचार	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार एसजीबी पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। किसी व्यक्ति को एसजीबी के मोचन पर लगने वाले पूंजी लाभकर में छूट है। किसी व्यक्ति को एसजीबी के अंतरण पर दिए जाने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ में सूचकांकन लाभ प्रदान किए जाएंगे।
18	विक्रेयता	एसजीबी ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।
19	एसएलआर पात्रता	बैंकों द्वारा ग्रहणाधिकार / दृष्टि बंधक / प्रतिज्ञा के माध्यम से अधिग्रहीत एसजीबी सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्र होंगे।
20	कमीशन	एसजीबी के वितरण के लिए कमीशन प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा प्राप्त कुल अभिदान की राशि पर एक प्रतिशत की दर से अदा किया जाएगा और इस प्रकार से प्राप्त कम से कम 50 प्रतिशत कमीशन एजेंटों और उप एजेंटों के साथ साझा किया जाएगा जिनके माध्यम से कारोबार किया गया हो।